

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट कैम्प सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री मधुसूदन शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 44/2012

अपीलांट्स

1. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम  
2. प्रभुराम पुत्र शिवजीराम  
जाति जाट निवासी कमठाई  
तहसील सिणधरी

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1. चुतराराम पुत्र शिवजीराम  
जाति जाट निवासी कमठाई  
तहसील सिणधरी  
2. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध  
आदेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी

उपस्थित:—1. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।  
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।  
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.06.2015

संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 26 रकबा 230 बीघा 12 विस्वा मौजा कमठाई में है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार, सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया था, जिस पर उप तहसीलदार सिणधरी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2010 जारी कर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।


  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

2. अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट्स को सम्मन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिणधरी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट्स उपस्थित रहे। अपीलांट्स के अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।
4. हमने उभय पक्ष को सुना। आदेश व अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स ने यह अपील उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 14.12.2010 को स्वीकृत करने के विरुद्ध पेश की है। मौजा कमठाई के खसरा नम्बर 25 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन ढाणी व खसरा नम्बर 26 रकबा 230 बीघा 12 बिस्वा बा.सोयम भूमि अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त तथाकथित सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान् के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान् के भौतिक कब्जे काशत के अनुसार नहीं है। पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति का राजीनामा पेश कर प्रभुराम के हिस्से में मूल खसरा 26 में से 77.04 बीघा, मुकनाराम के हिस्से में कुल 77.04 बीघा (मूल खसरा 26 में से 76.04 बीघा व खसरा नम्बर 25 रकबा 1.00 बीघा गैर मुमकिन ढाणी) एवं चतुराराम के हिस्से में मूल खसरा नम्बर 26 में से 77.04 बीघा कब्जा एवं प्रस्तुत नक्शानुसार प्रकरण निस्तारण करने का निवेदन किया है। अतः लोक अदालत की भावना एवं विवाद समाप्ति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत सहमति का राजीनामा स्वीकार किया जाता है।
5. अपीलांट्स ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद शुमार की जाती




है।  
**जला करनकर**  
**बादमेर**

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2010 को अपास्त किया जाता है और उपरोक्तानुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न नक्शानुसार इस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। तहसीलदार, सिणधरी माफिक आदेश एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के साथ संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर पारित नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय के अभिलेख हेतु उपलब्ध करावें।

  
(मधुसूदन शर्मा)  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर

आदेश खुले न्यायालय कैम्प सिणधरी में आज दिनांक 12.06.2015 को सभी उपस्थित पक्षकारानों के समक्ष सुनाया गया।



  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर